संख्या 32/2017/112बीपी/35-1-2017

प्रेषक,

आर.एन.एस.यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त, ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-1 **लखनऊ :दिनांक 30 नवम्बर, 2017**

विषय: बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में ग्रामीण पेयजल परियोजना हेतु धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2014-15 में बुन्देलखण्ड पैकेज के द्वितीय चरण में अनुमोदित ग्रामीण पेयजल से सम्बन्धित जखौरा बिजरौठा ग्राम समूह पेयजल परियोजना की शासनादेश संख्या-295बीपी/35-1-2014 दिनांक 21 नवम्बर, 2014 द्वारा लागत रू. 6893.31 लाख पर कतिपय शर्तों के साथ प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 2461.55 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी, जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा पूर्ण धनराशि का उपयोग कर लिया गया। वर्ष 2015-16 में शासनादेश संख्या-29/2015/112बीपी/35-1-2015 दिनांक 04 जून, 2015 द्वारा प्रश्नगत परियोजना हेतु रू. 798.00 लाख तथा शासनादेश संख्या 36/2015/152बीपी/35-1-2015 दिनांक 05 अगस्त, 2015 द्वारा प्रश्नगत परियोजना हेतु रू. 2997.00 लाख अर्थात कुल मिलाकर रू.3795.00 लाख अवमुक्त की गई, जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा पूर्ण धनराशि का व्यय किया गया। इस प्रकार परियोजना हेतु अब तक कुल मिलाकर रू. 6256.55 लाख की धनराशि उपलब्ध कराई गई है। एतद् द्वारा परियोजना के अवशेष कार्यों हेतु पूर्व में उपलब्ध कराई गई धनराशि को समायोजित करते हुए अनुमोदित लागत के सापेक्ष अवशेष रू. 6.36 करोड़ (रूपये छः करोड़ छत्तीस लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- सन्दर्भित शासनादेशों की अन्य शर्तें यथावत रहेगी।

2- प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि कोषागार से आहरित कर बैंक/डाकघर/पी.एल.ए. में नहीं रखी जायेगी और धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर उत्तर प्रदेश जल निगम को उपलब्ध कराई जायेगी।

3- कार्यों को मानकों के अनुरूप गुणवत्ता के साथ अनुमोदित लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत में वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी तथा कार्यों को पूर्ण करने के पश्चात यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे दिनांक 31 मार्च, 2018 से पूर्व राजकोष में जमा किया जायेगा।

4- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान कार्यालय महालेखाकार, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 03 माह में अर्थात 30 जून 2018 तक अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कार्यवार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना पूर्व निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नियोजन विभाग को भेजी जायेगी।

2- प्रश्नगत परियोजनाओं पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट के अनुदान संख्या 40 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष- 4575 -अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय-02-पिछड़े क्षेत्र-800-अन्य व्यय-04-बुन्देलखण्ड की विशेष योजनायें-77-ग्रामीण पेयजल योजना-24-वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या:8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

आर.एन.एस.यादव
विशेष सचिव।

संख्या–32/2017/112बीपी(1)/35-1-2017 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-प्रधान महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2-महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3-प्रमुख सचिव, वित्त विभाग।
4-प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास विभाग।
5-निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
6-प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
7-मण्डलायुक्त, झांसी/चित्रकूट धाम।
8-जिलाधिकारी, झांसी/ललितपुर/ जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/ चित्रकूट।
9-मुख्य विकास अधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/ चित्रकूट।
10-कोषाधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/ चित्रकूट।
11-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
12-जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, झांसी/ ललितपुर/ जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/ चित्रकूट।
13-गार्ड फाईल।

आज्ञा से

आर.एन.एस.यादव
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।